

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112023-250012 CG-DL-E-10112023-250012

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650] No. 650]

नई दिल्ली, बृहस्पतिबवार, नवम्बर 9, 2023/कार्तिक 18, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2023/KARTIKA 18, 1945

#### कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2023

**सा.का.नि. 832(अ).**—केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: –

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2023 है।
  - (2) वे राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **लागू होना.-** इन नियमों के उपबंध किसी भी सीमित दायित्व भागीदारी पर प्रवृत्त होंगे।
- 3. परिभाषाएँ.(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -
  - (क) 'अधिनियम' से सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) अभिप्रेत है;
  - (ख) 'अनुलग्नक' से इन नियमों का अनुलग्नक अभिप्रेत है;
  - (ग) "नियंत्रण" में अधिकांश पदाभिहित भागीदारों को नियुक्त करने या किसी व्यष्टि या व्यष्टियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यष्टिगत रूप से या एक साथ कार्य करने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार सम्मिलित होगा, जिसमें उनके योगदान या प्रबंधन अधिकारों सीमित दायित्व भागीदारी करारों या अन्य करारों या किसी अन्य रीति से अधिकार सम्मिलित हैं;

7087 GI/2023 (1)

- (घ) 'शुल्क' से सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में निर्दिष्ट शुल्क अभिप्रेत है;
- (ङ) 'प्ररूप' या 'ई-प्ररूप' से इन नियमों के अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट एक प्ररूप जिसका उपयोग उस मामले के लिए किया जाएगा जिससे यह संबंधित है अभिप्रेत;
- (च) "अधिकांश हिस्सेदारी" से अभिप्रेत है,-
  - (i) कारपोरेट निकाय में इक्किटी शेयर पूंजी के आधे से अधिक हिस्सेदारी; या
  - (ii) किसी भागीदारी इकाई में आधे से अधिक योगदान रखना; या
  - (iii) कारपोरेट निकाय में आधे से अधिक मतदान अधिकार रखना; या
  - (iv) किसी भागीदारी इकाई सहित निकाय कारपोरेट द्वारा वितरण योग्य लाभांश या वितरण योग्य लाभ या किसी अन्य वितरण के आधे से अधिक प्राप्त करने या भाग लेने का अधिकार होना, जैसा भी मामला हो;
- (छ) "अधिसूचना" से 11 फरवरी, 2022 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 110 (ड.) अभिप्रेत है;
- (ज) "भागीदारी इकाई" से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत भागीदारी फर्म या अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है;
- (झ) "रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी" से एक सीमित दायित्व भागीदारी जो अधिसूचना द्वारा उपांतरित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए अभिप्रेत है;
- (ञ) "धारा" से अधिनियम की एक धारा अभिप्रेत है और इसमें अधिसूचना द्वारा यथा- उपांतरित कंपनी अधिनियम, 2013 की एक धारा सम्मिलित है;
- (ट) रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में "महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी" से एक व्यष्टि से अभिप्रेत है, जो अकेले या मिलकर कार्य करता है, या एक या एक से अधिक व्यष्टियों या न्यास के माध्यम से, ऐसी रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी में निम्नलिखित अधिकारों या हकदारियों में से एक या अधिक अधिकार या हकदारी रखता है, अर्थात:-
  - (i) अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी प्रत्यक्ष होल्डिंग के साथ, अंशदान का कम से कम दस प्रतिशत रखता है;
  - (ii) ऐसे सीमित दायित्व भागीदारी में प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों के संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी प्रत्यक्ष होल्डिंग के साथ, वोटिंग का कम से कम दस प्रतिशत अधिकार रखता है;
  - (iii) केवल अप्रत्यक्ष होल्डिंग्स के माध्यम से किसी वित्तीय वर्ष में या किसी भी प्रत्यक्ष होल्डिंग के साथ कुल वितरण योग्य लाभ के कम से कम दस प्रतिशत प्राप्त करने या किसी अन्य वितरण में भाग लेने का अधिकार है:
  - (iv) केवल प्रत्यक्ष धारण के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण का प्रयोग करने का अधिकार है या वास्तव में उपयोग करता है:
  - स्पष्टीकरण I.- इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कोई व्यष्टि उप-खंड (i), (ii), (iii) या (iv) के अधीन अप्रत्यक्ष रूप से कोई अधिकार या हकदारी नहीं रखता है, तो उसे एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी नहीं माना जाएगा।
  - स्पष्टीकरण II .- इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यष्टि को रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी में प्रत्यक्ष अधिकार या भागीदारी रखने के लिए माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करता है. अर्थात:
  - (i) ऐसे अधिकार या हकदारी का प्रतिनिधित्व करने वाली रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी में अंशदान व्यष्टि के नाम पर रखा गया है;
  - (ii) व्यष्टि सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 22ख के उप-नियम (2) के अधीन रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी के अंशदान में हिताधिकारी हित रखता है या प्राप्त करता है और उसने रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी को इस संबंध में घोषणा की है।

स्पष्टीकरण III - इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यष्टि को रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी में अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार या हकदारी रखने वाला माना जाएगा, यदि वह रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार के संबंध में निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करता है, अर्थात्: -

- (i) जहां रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के अतिरिक्त एक कारपोरेट निकाय (यदि भारत या विदेश में निगमित या रजिस्ट्रीकृत) है, और वह व्यष्टि, -
  - (क) उस भागीदार में अधिसंख्या हिस्सेदारी रखता है; या
  - (ख) उस भागीदार की अंतिम होल्डिंग कंपनी (यदि भारत या विदेश में निगमित या रजिस्ट्रीकृत) में अधिकांश हिस्सेदारी रखता है;
- (ii) जहां रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार एक हिंदू अविभाजित कुटुंब (कर्ता के माध्यम से) है, और वह व्यष्टि कुटुंब का कर्ता है;
- (iii) जहां रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार एक भागीदारी इकाई (स्वयं या भागीदार के माध्यम से) है, और वह व्यष्टि, -
  - (क) एक भागीदार है; या
  - (ख) कारपोरेट निकाय, जो भागीदारी इकाई का भागीदार है, में अधिकांश हिस्सेदारी रखता है; या
  - (ग) निकाय कारपोरेट, जो भागीदारी इकाई का भागीदार की अंतिम होल्डिंग कंपनी में अधिकांश भागीदारी रखता है।
- (iv) जहां रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार एक न्यास (न्यासी के माध्यम से) है, और वह व्यष्टि, -
  - (क) एक विवेकाधिकार न्यास या धर्मार्थ न्यास के मामले में एक न्यासी है;
  - (ख) एक विशिष्ट न्यास के मामले में एक लाभार्थी है;
  - (ग) प्रतिसंहरणीय न्यास के मामले में लेखक या संरक्षक है।
- (v) जहां रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार, -
  - (क) एक एकीकृत निवेश साधन है; या
  - (ख) एकीकृत निवेश साधन द्वारा नियंत्रित एक इकाई है,

धन शोधन पर वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के सदस्य राज्य में स्थित और ऐसे सदस्य राज्य में प्रतिभूति बाजार का नियामक, प्रतिभूति आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य है, और एकीकृत निवेश साधन के संबंध में वह व्यष्टि, -

- (क) एक साधारण भागीदार है; या
- (ख) एक निवेश प्रबंधक है; या
- (ग) एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जहां ऐसे एकीकृत निवेश साधन का निवेश प्रबंधक, एक कारपोरेट निकाय या भागीदारी इकाई है।

स्पष्टीकरण IV .- जहां रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार,

- (i) एकीकृत निवेश साधन है; या
- (ii) एकीकृत निवेश साधन द्वारा नियंत्रित एक इकाई है,

ऐसे क्षेत्राधिकार के आधार पर जो स्पष्टीकरण III के खंड (v) में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, स्पष्टीकरण III के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iv) के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

स्पष्टीकरण V - इस खंड के प्रयोजन के लिए, यदि कोई व्यष्टि, या व्यष्टियों का समूह किसी व्यष्टि या न्यास के माध्यम से कार्य करता है, तो किसी समझौते या समझ, औपचारिक या अनौपचारिक, ऐसे व्यक्तिों, या किसी व्यष्टि या न्यास के माध्यम से कार्य करते हुए, रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी पर किसी भी अधिकार या पात्रता का उपयोग

- करने या नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग करने के सामान्य इरादे या उद्देश्य के साथ कार्य करता है, जैसा भी मामला हो, तो ऐसे व्यष्टि या व्यष्टियों के समूह को 'एक साथ कार्य करने वाला' माना जाएगा।
- (ठ) "महत्वपूर्ण प्रभाव" से रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की शक्ति, लेकिन उन नीतियों का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है, अभिप्रेत है।
- (इ) "अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी" कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (46) के अधीन यथा-परिभाषित एक होल्डिंग कंपनी है, जो किसी अन्य निकाय कारपोरेट की सहायक कंपनी नहीं है।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इस में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
- **4. रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी का कर्तव्य.-** (1) प्रत्येक रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी यह पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि क्या कोई ऐसा व्यष्टि है जो सीमित दायित्व भागीदारी की रिपोर्टिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी है, और यदि हां, तो उसकी पहचान करें और ऐसे व्यष्टि को प्ररूप एलएलपी बीईएन -1 में घोषणा करने के लिए प्रेरित करें।
- (2) उप-नियम (1) में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी उन सभी मामलों में, होगी जहां उसके भागीदार (एकल व्यष्टि के अतिरिक्त) के पास इसका दस प्रतिशत से कम नहीं है:
  - (क) अंशदान, या
  - (ख) मतदान का अधिकार, या
  - (ग) ऐसे भागीदार को कंपनी अधिनियम की धारा 90 की उप-धारा (5) के अनुसार सूचना प्राप्त करने का, जैसा कि सीमित दायित्व भागीदारी में अधिसूचना है, प्ररूप एलएलपी बीईएन-4 में नोटिस देगी।
- 5. अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व की घोषणा.- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक व्यष्टि जो रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी में एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी है, को ऐसे प्रारंभ के नब्बे दिनों के भीतर रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी को प्ररूप संख्या एलएलपी बीईएन -1 में एक घोषणा फाइल करनी होगी।
- (2) प्रत्येक व्यष्टि, जो बाद में एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी बन जाता है, या जहां उसका महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व किसी भी परिवर्तन से गुजरता है, उसे रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी के लिए, ऐसे महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व या उसमें किसी भी बदलाव को प्राप्त करने के तीस दिनों के भीतर प्ररूप संख्या एलएलपी बीईएन -1 में एक घोषणा दर्ज करनी होगी।
- (3) जहां कोई व्यष्टि एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी बन जाता है, या जहां उसके महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है, के शुरू होने के नब्बे दिनों के भीतर, यह माना जाएगा कि ऐसा व्यष्टि महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी बन गया या उसमें कोई परिवर्तन ऐसे आरंभ से नब्बे दिनों की समाप्ति की तारीख को हुआ, और फाइलिंग के लिए तीस दिनों की अविध को तदनुसार गणना की जाएगी।
- 6. अंशदान में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की रिटर्न.- नियम 5 के अधीन घोषणा प्राप्त होने पर, रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी ऐसी घोषणा के संबंध में रिजस्ट्रार के पास, उसके द्वारा ऐसी घोषणा की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अविध के भीतर, सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 में निर्धारित शुल्क के साथ प्ररूप संख्या एलएलपी बीईएन-2 में रिटर्न फाइल करेगी।
- 7. महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का रजिस्ट्रीकरण.- (1) सीमित दायित्व भागीदारी प्ररूप संख्या एलएलपी बीईएन -3 में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों का एक रजिस्टर बनाए रखेगी।
- (2) रजिस्टर, व्यावसायिक घंटों के दौरान, कम से कम दो घंटे के ऐसे उचित समय पर, प्रत्येक कार्य दिवस पर, जैसा कि सीमित दायित्व भागीदारी समझौते द्वारा तय किया जाए, या सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा ऐसे शुल्क के भुगतान पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है लेकिन प्रत्येक निरीक्षण के लिए पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।
- 8. महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों के बारे में सूचना मांगने वाला नोटिस.- एक सीमित दायित्व भागीदारी, अधिसूचना द्वारा यथा-संशोधित धारा 90 की उप-धारा (5) के अनुसार प्ररूप संख्या बीईएन -4 में सूचना मांगने के लिए नोटिस देगी।

- 9. अधिकरण को आवेदन.- रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी अधिकरण पर लागू होगी,
- (i) जहां कोई व्यष्टि नोटिस द्वारा अपेक्षित सूचना निर्दिष्ट समय के भीतर प्ररूप सं एलएलपी बीईएन -4 में देने में विफल रहता है; या
- (ii) जहां दी गई सूचना धारा 90 की उपधारा (7) के अनुसार संतोषजनक नहीं है, वहां यह निदेश देने के लिए कि विचाराधीन अंशदान ऐसे प्रतिबंधों जैसा कि प्राधिकरण को लगता है, के अधीन होगा, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
  - (क) विचाराधीन अंशदान से जुड़े ब्याज के अंतरण पर प्रतिबंध;
  - (ख) विचाराधीन अंशदान के संबंध में लाभ या किसी अन्य वितरण को प्राप्त करने के अधिकार का निलंबन;
  - (ग) विचाराधीन अंशदान के संबंध में मतदान के अधिकारों का निलंबन;
  - (घ) विचाराधीन अंशदान से जुड़े सभी या किन्हीं अधिकारों पर कोई अन्य प्रतिबंध।
- 10. लागू न होना.- ये नियम रिपोर्टिंग सीमित देयता भागीदारी के अंशदान के विस्तरण में लागू नहीं होंगे,-
- (क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण;
- (ख) (i) एक रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी, या
  - (ii) एक कारपोरेट निकाय, या
  - (iii) एक इकाई,

केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित:

- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ), स्थावर संपदा निवेश न्यास (आर्र्डआईटी), अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) जैसे रजिस्ट्रीकृत निवेश साधन,
- (घ) भारतीय रिजर्व बैंक अथवा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अथवा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित औद्योगिक साधन।

[फा. सं. 17/30/2018-सीएल-V]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

# <u>अनुलग्नक</u>

## <u>[नियम-3 (ख) देखें]</u>

## प्ररूप सं. एलएलपी बीईएन -1

हिताधिकारी स्वामी द्वारा घोषणा जो अंशदान में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व रखता है या प्राप्त करता है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 (1) और सीमित दायित्व भागीदारी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2023 के नियम 5 के अनुसार]

सेवा में

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम:

रजिस्ट्री कार्यालय का पता:

1. प्ररूप फाइल करने का प्रयोजन (किसी एक को चुनें)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व की घोषणा के लिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व में परिवर्तन के लिए।

,	$\sim$	$\circ$	$\circ$	0	$\sim$	c 0
महत्वपूर्ण	ाहत	ाधक	ारा	स्वामा	का	आइडा
- 6	_					•

2. महत्वपूर्ण हिताधिकारी ब्याज के धारक का विशिष्टियां:

महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का नाम (नाम और अंतिम नाम)	
पता और ईमेल आईडी	

जन्म की तारीख/आयु	
पिता / माता / पति या पत्नी का नाम	
व्यवसाय	
राष्ट्रीयता	
पासपोर्ट नं. (विदेशी नागरिक के मामले में)	
पैन नं.	
डीआईएन/डीपीआईएन (कारपोरेट निकाय में निदेशक/नामित	
भागीदार रखने के मामले में)	

- 3. रिपोर्टिंग एलएलपी के भागीदार के माध्यम से रिपोर्टिंग सीमित दायित्व भागीदारी में अप्रत्यक्ष होल्डिंग या अधिकार के प्रयोग का स्वरूप (जहां एक से अधिक प्ररूप के इस पैरा को दोहराते हैं)
- क. भागीदार का प्रकार (कंपनी/एलएलपी/कोई अन्य कारपोरेट निकाय /एचयूएफ/पार्टनरशिप फर्म/विवेकाधीन न्यास/ चैरिटेबल न्यास/स्पेसिफिक न्यास/रिवोकेबल न्यास/पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल (पीआईवी)/पीआईवी द्वारा नियंत्रित इकाई:
- ख. कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) या अधिनियम के अधीन स्थापित नियामक द्वारा आवंटित कोई अन्य रजिस्टी संख्या:
- ग. सहयोगी का नाम:

Z	Г.	п	П	т٠

पंक्ति । ......

पंक्ति॥....

शहर..... राज्य.....

देश...... पिन कोड .....

ङ. रिपोर्टिंग एलएलपी में अप्रत्यक्ष धारण या अधिकार के प्रयोग का स्वरूप:

अंशदान के माध्यम से	%
योगदान में मतदान के अधिकार के माध्यम से	%
वितरण योग्य लाभ या किसी अन्य वितरण में अधिकारों के माध्यम से	%
नियंत्रण के व्यवसाय के माध्यम से (करार की प्रति संलग्न करें)	
मुख्य प्रभाव के प्रयोग के माध्यम से (करार की प्रति संलग्न करें)	

च. रिपोर्टिंग एलएलपी के भागीदार में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की स्थिति (लागू / लागू नहीं होने का उल्लेख करें)

कंपनी या किसी अन्य कारपोरेट निकाय के मामले में व्यक्ति	
एलएलपी या हिताधिकारी फर्म के मामले में नामित भागीदार या भागीदार	
एचयूएफ के मामले में कर्ता	
विवेकाधीन न्यास या चैरिटेबल न्यास के मामले में न्यासी	
एक विशिष्ट न्यास के मामले में लाभार्थी	
प्रतिशोधयोग्य न्यास के मामले में लेखक या अवस्थापक	
एकत्र निवेश साधन या एकत्र निवेश साधन नियंत्रित इकाई के मामले में सामान्य भागीदार, निवेश प्रबंधक	
या सीईओ	

छ. यदि भागीदार एक भागीदारी फर्म या एलएलपी है, तो निर्दिष्ट करें कि क्या महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी है (हां / नहीं)

एक नामित भागीदार / भागीदार है	
निकाय कारपोरेट भागीदार में बहुमत हिस्सेदारी रखता है	
निकाय कारपोरेट भागीदार की अंतिम होल्डिंग कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी	
रखता है	

ज. यदि भागीदार एक कंपनी या कोई अन्य कारपोरेट निकाय है, तो निर्दिष्ट करें कि क्या महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी है: (हां / नहीं)

ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय में बहुमत हिस्सेदारी	
ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय की अंतिम होल्डिंग कंपनी में बहुमत हिताधिकारी	

झ. क्या रिपोर्टिंग एलएलपी में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की कोई प्रत्यक्ष होल्डिंग या अधिकार है: हां/नहीं यदि हाँ विशिष्टियां दर्ज करें (प्रतिशत में):

अंशदान के आधार पर	
अंशदान में मतदान के अधिकार के आधार पर	
वितरण योग्य लाभ या किसी अन्य वितरण पर अधिकारों के आधार पर	
नियंत्रण के व्यवसाय के आधार पर (करार की प्रति संलग्न करें)	
मुख्य प्रभाव के प्रयोग के आधार पर (करार की प्रति संलग्न करें)	

तारीख:

स्थान:

महत्वपूर्ण हिताधिकारी हितधारक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक

प्ररूप सं. एलएलपी बीईएन -2

प्ररूप भाषा

अंग्रेज़ी





## धारा 90 के अधीन घोषणा के संबंध में रजिस्ट्रार को विवरणी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 (4) सीमित दायित्व भागीदारी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2023] के नियम 6 के अनुसरण में

प्ररूप फाइल करने के लिए निर्देश किट देखें \* में चिहिनत सभी फ़ील्ड आजापक हैं

8	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDIN	ARY [PART II—SEC. 3(i)]
सीमित दायित्व भागी		
1 *एलएलपी की सीमि	नेत दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपिन)	
2 (क) * सीमित दायि	त्व भागीदारी का नाम	
(ख) *रजिस्ट्री कार्याल	य का पता	
(ग) * ईमेल आईडी		
3* प्ररूप फाइल करने	का प्रयोजन	
<b>—</b> `	एलएलपी के लिए घोषणा	
हिताधिकारी स्वामित्व के लिए घोषणा	, 2013 की धारा 90 के अधीन विद्यमान □ महत्वपूर्ण ा के ब्यौरे में परिवर्तन हटाने की घोषणा गीदारी की मौजूदा होल्डिंग रिपोर्टिंग को हटाना	ि हिताधिकारी स्वामित्व को महत्वपूर्ण
4 होल्डिंग रिपोर्टिंग र्स	ोमित दायित्व भागीदारी की घोषणा के लिए	
(यदि 'होल्डिंग रिपोर्टि	ैंग की घोषणा के लिए सीमित दायित्व भागीदारी' डाटा	कॉलम 3 में चुना जाता है, तो लागू होता है)
(क) होल्डिंग रिपोर्ा	र्टेंग सीमित दायित्व भागीदारी का एलएलपिन।	
(कंपनी अधिनियम, 2 स्तंभ 3 में चुना गया है	ाम, 2013 की धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी 013 की धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वा है) ताधिकारी स्वामी की संख्या जिनके लिए प्ररूप फाइल वि	मित्व की घोषणा के मामले में लागू' डाटा
महत्वपूर्ण		
हिताधिकारी	उन भागीदारों की संख्या जिनके माध्यम से सीमित	
<b>स्वामी</b> एसबीO1	अप्रत्यक्ष होल्डिंग या अधिकार का प्रयोग किया जा	रहा ह
एसबा <b>O</b> 1 एसबीO2		

## 6 भागीदारों के विशिष्टियां और विशिष्टियां

6क एक प्रणाली जिसमें महत्वपूर्ण हिताधिकारी हित या ते	। अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रत्यक्ष होल्डिंग या अधिकार के साथ
रखा या प्रयोग किया जा रहा है (एक या अधिक का च	यन करें जो लागू हो सकता है)
☐ अंशदान के आधार पर	
<ul><li>अंशदान में मतदान के अधिकार के आधार पर</li></ul>	
<ul> <li>वितरण योग्य लाभ या किसी अन्य वितरण पर अधिक</li> </ul>	ारों के आधार पर
<ul> <li>नियंत्रण के व्यवसाय के आधार पर (करार की प्रति संत्</li> </ul>	नम्न करें)
करार की प्रतिलिपि	अधिकतम २ फ़ाइल चुनें हटाना डाउनलोड
<ul><li>मुख्य प्रभाव के प्रयोग के आधार पर (करार की प्रति सं</li></ul>	लग्न करें)
करार की प्रतिलिपि	अधिकतम फ़ाइल चनें हटाना डाउनलोड
6 ख भागीदारों का विशिष्टियां	
(क) भागीदार का प्रकार (कंपनी / विदेशी कंपनी / सीम् अन्य निकाय कॉर्पोरेट/हिंदू अविभाजित परिवार (एच विवेकाधीन न्यास/चैरिटेबल न्यास/विशिष्ट न्यास/रिव	ायूएफ)/भागीदारी फर्म/
	इकाई / विदेशी एलएलपी / एलएलपी निगमित भारत के बाहर
और भारत में व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है / एक र	पाथ कार्य करने वाले व्यक्ति / विदेशी सरकार)
(1) क्या न्यासी एक निकाय कारपोरेट निकाय है?	' 🌑 हाँ 🌘 नहीं
(2) एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या	
(ख)  सीआईएन/एफसीआरएन/एलएलपीआईएन या को	र्
अन्य रजिस्ट्री संख्या	
(ग) सहयोगी का नाम	
(घ) भागीदारों का पता	
(i) पता पंक्ति 1	

(ii) पता पंक्ति 2	
(iii) देश	
(iv) पिन कोड/ज़िप कोड	
(v) क्षेत्र/स्थानीयता	
(vi) शहर	
(vii) जिला	
(viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
(ङ) भागीदार की ईमेल आईडी	
(च) सीमित दायित्व भागीदारी के नियम 22क के अधीन रजिस्टर में न	ाम फाइल करने की तारीख
नियम, 2009 (दिन/मास/वर्ष)	
6 ग भागीदारों के अन्य विशिष्टियां	
(क) एसबीओ की स्थिति	
(व्यक्तिगत/भागीदार/कर्ता/न्यासी/संरक्षक/न्यासी निदेशक/निदेशक)	
रक्षक/लाभार्थी/सेटलर/जनरल पार्टनर/इन्वेस्टमेंट पार्टनर/	
पीआईवी के सीईओ / एक साथ काम करने वाले व्यक्ति / राज्यों के	प्रमुख)
(ख) क्या व्यक्तिगत (एसबीओ) की इसमें अधिकारी भागीदारी है	V
(रिपोर्टिंग एलएलपी/रिपोर्टिंग एलएलपी) अल्टीमेट होल्डिंग	
कंपनी के भागीदार के भागीदार।	
(ग) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या एलएलपिन या विदेशी व	तंपनी रजिस्ट्री संख्या
(एफसीआरएन) या विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान (ए	फएलएलपिन) या
कोई अन्य रजिस्ट्री संख्या	
(घ) अंतिम होल्डिंग कंपनी का नाम	
(ङ) यदि व्यक्ति (एसबीओ) है:	V
(कारपोरेट निकाय का भागीदार हैं/ कारपोरेट निकाय भागीदार मे	· बहुमत हिस्सेदारी रखता है /
कारपोरेट निकाय भागीदार की अंतिम होल्डिंग कंपनी में बहुमत भ	गगीदारी रखता है)
(च) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्री	। संख्या

(एफसीआरएन) या विदेशी सीमित दायित्व भागी	दारी पहचान (एफएलएलपीआईएन)
या कोई अन्य रजिस्ट्री संख्या	
(छ) निकाय का नाम कारपोरेट भागीदार / अंतिम	होल्डिंग कंपनी
6घ एसबीओ के विशिष्टियां एसबीओ 1 को जोड़ा जाएग	π
(क) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की आईडी	
(क) (i) आयकर पैन	
	इनकम टैक्स पैन
(ii) पासपोर्ट संख्या	
(ख) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का नाम	
(ख) (i) प्रथम नाम	
(ii) मध्य नाम	
(iii) अंतिम नाम	
(ग) पिता का नाम (विवाहित महिलाओं को भी पित	ा का नाम देना होगा)
(ग) (i) प्रथम नाम	
(ii) मध्य नाम	
(iii) अंतिम नाम	
(घ) जन्म तिथि (दिन/मास/वर्ष)	
(ङ) राष्ट्रीयता	
(च) क्या कोई भारत का नागरिक है	○ हाँ ○ नहीं
(छ) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का पता	
(छ) (i) पता पंक्ति 1	

(ii) पता पंक्ति 2	▼
(iii) देश	
(iv) पिन कोड/ज़िप कोड	
(v) क्षेत्र/स्थानीयता	
(vi) शहर	
(vii) जिला	
(viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
(ix) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की ईमेल आईडी	
(ज) (i) महत्वपूर्ण हिताधिकारी ब्याज (दिन/मास /वर्ष) प्राप्त करने	ने की तारीख
(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 की उपधारा (1) के उ	मधीन घोषणाओं की तारीख
(दिन/मास /वर्ष)	
(iii) एलएलपी (दिन/मास/वर्ष) द्वारा घोषणा की प्राप्ति की तारीख	ब
(झ) क्या महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी के पास इस क्षेत्र में कोई	प्रत्यक्ष अधिकार या अधिकार है
<mark></mark> हां ○ नहीं	
रिपोर्टिंग एलएलपी	
(ञ) यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दर्ज करें:	
☐ (i) अंशदान के आधार पर	
☐ (ii) अंशदान में मताधिकार के आधार पर	
□(iii) वितरण योग्य लाभ या किसी अन्य वितरण पर अधिकार	iं के आधार पर
☐ (iv) नियंत्रण के प्रयोग के आधार पर (करार की प्रति संलग्न क	₹)
करार की प्रति	अधिकतम २ फ़ाइल चुनें हटाना डाउनलोड
(v) मुख्य प्रभाव के प्रयोग के आधार पर (करार की प्रति संव	तग्न करें)
करार की प्रति	अधिकतम फ़ाडल चर्ने हटाना डाउनलोड

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	13
(ट) निगमित निकाय का न	пम	
संख्या (एफसीआरएन)	ह्या (CIN) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण या सीमित दायित्व भागीदारी पहचान एन) या विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान (एफएलएलपीआई ग संख्या	ईएन) या
5 (क) कंपनी अधिनियम, 2 लिए	2013 की धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व की ि	वेशिष्टियों में परिवर्तन के
	की धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व के विशिष्टिया 	ं में परिवर्तन के मामले में
लागू' डाटा फील्ड 3 में चुना	Ÿ [	
	प्रेकारी स्वामियों की संख्या जिनके लिए विशिष्टियों में परिवर्तन किया	
महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी	उन भागीदारों की संख्या जिनके माध्यम से एलएलपी की रिपोर्टिंग रे या अधिकार का उपयोग किया जा रहा है	में अप्रत्यक्ष होल्डिंग
एसबी O1		
एसबी O2		
प्रयोग किया जा रहा है (ए ☐ अंशदान के आधार पर ☐ अंशदान में मतदान के ☐ वितरण योग्य लाभ य	हिताधिकारी हित या तो अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रत्यक्ष धृति या व क या अधिक का चयन करें जो लागू किया जाए)	अधिकार के साथ रखा या
<ul><li>मुख्य प्रभाव के प्रयोग करार की प्रति</li><li>6ख भागीदारों का विशिष्टिय</li></ul>	के आधार पर (करार की प्रति संलग्न करें) अधिकतम 2 फाइल चुनें	हटाना डाउनलोड
(क) साथी का प्रकार		<b>T</b>
(कपना/ावदशा कपन	गि/सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी)/कोई अन्य निकाय कारपोरेट	7

हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)/भागीदारी फर्म/वैवेकिक न्यास/पूर्त

न्यास/	
विशिष्ट न्यास/प्रतिसंहर्णीय न्यास/पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीव	<sup>5ल (पीआईवी)/पीआईवी द्वारा नियंत्रित इकाई/</sup>
विदेशी एलएलपी/एलएलपी भारत के बाहर निगमित साथ कार्य करने वाले व्यक्ति।	है और भारत में इसके कारोबार का कोई स्थान नहीं है/ एक
साथ काय करन वाल व्याक्ता विदेशी सरकार)	
(i) क्या न्यासी एक निगमित निकाय है?	○ हां ○ नहीं
(ii) एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या	
(4) 21 21 11 12 12 13 14 14 14 14	
(ख) सीआईएन/एफसीआरएन /एलएलपीआईएन या कोई अ रजिस्ट्रीकरण संख्या	भ्रन्य
(ग) भागीदार का नाम	
(घ) भागीदार का पता	
(i) पता पंक्ति 1	
(ii) पता पंक्ति 2	
(iii) देश	
(iv) पिन कोड/ज़िप कोड	
(v) क्षेत्र/स्थानीयता	<b>V</b>
(vi) शहर	
(vii) जिला	
(viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
(ङ) भागीदार की ईमेल आईडी	
(ङ) भागादार का इमल आइडा (च) सीमित दायित्व भागीदारी के नियम 22क के अधीन रजिस नियम 2009 (दिन/मास /वर्ष)	टर में नाम फाइल करने की तारीख

6ग भागीदारों के अन्य ब्यौरे	
(क) एसबीओ की स्थिति	V
(व्यक्तिगत/भागीदार/कर्ता/न्यासी/संरक्षक/न्यासी निदेशक/संरक्ष	नक निदेशक/संरक्षक/
हिताधिकारी/व्यवस्थापक/साधारण भागीदार / निवेश प्रबंधक के निवेश प्रबंधक/सीईओ/एक साथ कार्य करने वाले व्यक्ति/राज्य	
(ख) यदि व्यक्तिगत (एसबीओ) की इसमें बहुमत भागीदार है	V
रिपोर्टिंग एलएलपी / अंतिम नियंत्री कंपनी के भागीदार	
रिपोर्टिंग एलएलपी के भागीदार)।	
(ग) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्र (एफसीआरएन)	्रीकरण संख्या
या एलएलपिन या विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान (	एफएलएलपीआईएन) या
कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण संख्या	
(घ) अंतिम नियंत्री कंपनी का नाम	
(ङ) क्या व्यक्ति (एसबीओ) <i>(कारपोरेट निकाय का भागीदार है/ कारपोरेट निकाय भागीदा</i>	▼ पर में बहमत भागीदारी रखता है /
` कारपोरेट निकाय भागीदार की अंतिम नियंत्री कंपनी में बहुम	· · ·
(च) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस् (एफसीआरएन)	· ·
या एलएलपिन या विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान (	एफएलएलपीआईएन) या
कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण संख्या	
(छ) निकाय का नाम कारपोरेट भागीदार या अंतिम होल्डिंग कंपनी	
6घ एसबीओ की विशिष्टियां को एसबीओ 1 में परिवर्तित किया जाएग	π
(क) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की आईडी	The state of the s
(i) आयकर पैन	
	इनकम टैक्स पैन
(ii) पासपोर्ट संख्या	

(ख) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का नाम	
(i) प्रथम नाम	
(ii) मध्य नाम	
(iii) अंतिम नाम	
(ग) पिता का नाम (विवाहित महिलाओं को भी पिता का न	ाम देना होगा)
(i) प्रथम नाम	
(ii) मध्य नाम	
(iii) अंतिम नाम	
(घ) जन्म तिथि (दिन/माह /वर्ष)	
(ङ) राष्ट्रीयता	<b>V</b>
(च) क्या कोई भारत का नागरिक है	🔾 हाँ 🔘 नहीं
(छ) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का पता	
(i) पता पंक्ति 1	
(ii) पता पंक्ति 2	
(iii) देश	
(iv) पिन कोड/ज़िप कोड	
(v) क्षेत्र/स्थानीयता	
(vi) शहर	
(vii) जिला	

(viii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
(ix) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की ईमेल आईडी	
(ज) (i) महत्वपूर्ण हिताधिकारी ब्याज (दिन/मास /वर्ष) प्रा तारीख	प्त करने की
(ii) कंपनी अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के अ तारीख	धीन घोषणाओं की
कंपनी अधिनियम, 2013 (दिन/मास /वर्ष)	
(3) एलएलपी (दिन/मास /वर्ष) द्वारा घोषणा की प्रा तारीख	प्ते की
(झ) क्या महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी के पास इस क्षेत्र में रिपोर्टिंग एलएलपी (ञ) यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दर्ज करें:	में कोई प्रत्यक्ष धृति या अधिकार है
☐ (i) अंशदान के आधार पर	
🔲 (ii) अंशदान में मताधिकार के आधार पर	
<ul><li>☐ (iii) वितरण योग्य लाभ या किसी अन्य वितरण पर आ</li><li>☐ (iv) नियंत्रण के प्रयोग के आधार पर (करार की प्रति सं</li></ul>	
करार की प्रति	अधिकतम २ फाडल चर्ने ह्रदाना डाउनलोड
□ (v) मुख्य प्रभाव के प्रयोग के आधार पर (करार की प्रित करार की प्रतिलिपि	संलग्न करें) अधिकतम फाडल चर्ने हटाना डाउनलोड
(ट) निगमित निकाय का नाम	
(ठ) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपर्न संख्या (एफसीआरएन) या सीमित दायित्व भागीदारी प संख्या (एलएलपीआईएन) या विदेशी सीमित दायित्व भ कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण संख्या	हचान हचान

5 (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के अधीन विद्यमान महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व को हटाने के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के अधीन विद्यमान महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व को हटाने के मामले में लागू' डाटा फ़ील्ड 3 में चुना गया है)
(ग) (i) हटाए जाने वाले महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों की संख्या
(घ) (i) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की आईडी को हटाया जाना
(ii) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का नाम हटाया जाना
(iii) महत्वपूर्ण हिताधिकारी हित (दिन/मास /वर्ष) को हटाने की तारीख
(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन घोषणाओं की तारीख (दिन/मास /वर्ष)
(v) एलएलपी (दिन/मास /वर्ष) द्वारा घोषणा की प्राप्ति की तारीख
(ङ) यदि नियंत्रण या मुख्य प्रभाव बंद हो गया हो हां नहीं अधिकतम फ़ाडल चर्ने हटाना डाउनलोड
यदि हां, तो सुसंगत दस्तावेज की प्रति प्रदान करें।
(च) ऐसी समाप्ति / परिवर्तन के पश्चात् एसबीओ द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के ब्यौरे (उन सभी का चयन करें जो लागू होते हैं):
□ (i) अंशदान के आधार पर %
□ (ii) अंशदान में मताधिकार के आधार पर %
、 ∕ (iv) नियंत्रण के प्रयोग के आधार पर (करार की प्रति संलग्न करें)
करार की प्रति अधिकतम 2 फ़ाडल चर्ने हटाना डाउनलोड
□ (v) मुख्य प्रभाव के प्रयोग के आधार पर (करार की प्रति संलग्न करें)
करार की प्रति अधिकतम 2 फ़ाइल चर्ने हटाना डाउनलोड

7 नियंत्री रिपोर्टिंग एलएलपी को हटाना	
(डाटा फ़ील्ड 3 में 'होल्डिंग रिपोर्टिंग एलएलपी को हटाने' विकल्प	में लागू होता है)
(क) नियंत्री रिपोर्टिंग एलएलपी का एलएलपिन।	
(ख) नियंत्री रिपोर्टिंग एलएलपी (दिन/मास /वर्ष) को हटाने की	प्रभावी तारीख
संलग्नक	
(अ) *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के अधीन घोषणा	अधिकतम २ फाडल चर्ने हटाना
(आ)रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र	
(इ) ऐसी लिखत जिसके अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी ब्याज सृजित किया जाता हो ।	अधिकतम २ फ़ाइल चर्ने हटाना डाउनलो
(ई) वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।	डाउनलोड
	अधिकतम २ फ़ाइल चर्ने हटाना
घोषणा	
मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप और संलग्नक	में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है।
मुझे, एलएलपी का नामनिर्दिष्ट भागीदार होने के नाते, इस प्ररूप प गया है।	र हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए अधिकृत किया
मैं आगे घोषणा करता हूं कि मैंने ऐ	ऐसे व्यक्तियों को उचित अवसर प्रदान करके एलएलपी में
एसबीओ के रूप में कार्य करने के लिए एलएलपी बीईएन -1 में रिष	गिर्टिंग करने वाले व्यक्तियों के ब्यौरों को सत्यापित किया
है। 	
* नामनिर्दिष्ट भागीदार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना	डीएससी बॉक्स
* नामनिर्दिष्ट भागीदार का डीपीआईएन	
व्यवसायिक वृत्तिक द्वारा प्रमाण पत्र	
* यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उपरोक्त विशिष्टियों (संलग्नक	सहित) को निम्नलिखित के रिकॉर्ड से सत्यापित किया
है:	
और उन्हें सत्य और सही प	गया। मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि सभी
अपेक्षित संलग्नक (ओं) को इस प्ररूप के साथ पूर्णरूप से संलग्न किया	गया है।

*श्रेणी	
🔾 चार्टर्ड एकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत में)	
🔾 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत में)	
🔾 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत में)	
* यदि सहयुक्त या अध्येता:	
🔾 सहयुक्त 🔘 अध्येता	
* सदस्यता संख्या या व्यवसाय संख्या का प्रमाण पत्र	
* हस्ताक्षर फील्ड 2	डीएससी बॉक्स
	रक्षा कर जमा करें

टिप्पण: एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 37 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो

मिथ्या कथन के लिए दंड और उसी के लिए दंड का उपबंध करते हैं।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से एलएलपी के रजिस्टर द्वारा रखी गई फाइल पर और नामनिर्दिष्ट भागीदार और व्यवसायिक द्वारा दिए गए शुद्धता के विशिष्टियां के आधार पर लिया गया है।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:	
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
ई-प्ररूप फाइलिंग तारीख (दिन/मास/वर्ष)	

## प्ररूप सं. एलएलपी बीईएन -3

महत्वपूर्ण हिताधिकारी हित रखने वाले हिताधिकारी स्वामियों का रजिस्टर

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 (2) और सीमित दायित्व भागीदारी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों) नियम, 2023 के नियम 7 (1) के अनुसरण में]

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम:

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

क्र. सं.	हिताधिकारी स्वामी का नाम	पता और ईमेल आईडी	जन्म की तारीख/ आयु	पिता / माता / जीवनसाथी का नाम
(1) व्यवसाय	(2) राष्ट्रीयता	(3) पैन/विशिष्ट पहचान	(4) पासपोर्ट सं.	(5) प्रास्थिति
		संख्या	(विदेशी नागरिकों के मामलों में)	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
कंपनी अधिनियम,	समाप्ति की तारीख	रजिस्टर में प्रविष्टि की	एलएलपी बीईएन -2	कोई अन्य हित
2013 की धारा 90		तारीख	(एसआरएन वार)	यदि कोई हो
और सीमित दायित्व			फाइल करने की	
भागीदारी (महत्वपूर्ण			तारीख	
हिताधिकारी स्वामी)				
नियम, 2023 के				
नियम 4 और नियम				
5 के अधीन घोषणा				
की तारीख				
(11)				
भागीदार द्वारा दिया				
गया अनुदेश, यदि				
कोई हो,				

### प्ररूप सं. एलएलपी बीईएन -4

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 (5) और सीमित दायित्व भागीदारी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2023 के नियम 4, नियम 8 और नियम 9 के अनुसरण में]

[<<एलएलपी का नाम सम्मिलित करें>>] ("एलएलपी")

<<तारीख सम्मिलित करें>>
[डाक / ईमेल द्वारा]
सेवा में:
एसबीओ/किसी अन्य व्यक्ति का नाम और पता
तारीख:

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 की उपधारा (5) और सीमित दायित्व भागीदारी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2023 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना

सीमित दायित्व भागीदारी में यह विश्वास करने का उचित कारण है कि:

का कम से कम 10% के धारक है।

🗆 आप सीमित दायित्व भागीदारी के एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी हैं;
□ आपको महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी / किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का ज्ञान है जो ऐसे ज्ञान की संभावना रखता है;
□ भागीतार तोने के नाने थंशतान / मनतान थंशकार / कंगनी में निनरण गोग्य लाभ गा किसी थन्य निनरण पर थंशिका

□आप इस सूचना की तारीख से ठीक पहले के तीन वर्ष के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी के एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी रहे हैं, और

उपर्युक्त महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व के संबंध में, अधिनियम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के अधीन यथा-विहित सूचना की घोषणा को कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित दायित्व भागीदारी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2023 के अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है।

तदनुसार आपको कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के अनुसार इस सूचना की तारीख के 30 दिनों के भीतर निम्नलिखित जानकारी देने की सलाह दी जाती है:

- 1. हिताधिकारी स्वामी (बी.ओ.) का नाम और पता
- 2. बीओ का पैन
- 3. उस व्यक्ति/इकाई/न्यास/निकाय कारपोरेट आदि का नाम जिसके नाम पर अंशदान रजिस्ट्रीकृत है
- 4. हिताधिकारी ब्याज प्राप्त करने की तारीख
- 5. हिताधिकारी स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज, निबंधन और शर्तें या कोई अन्य विशिष्टियां
- 6. एलएलपी बीईएन -1 प्ररूप संख्या में घोषणा पत्र दाखिल न करने का कारण।
- 7. इस मामले का मूल्यांकन करने के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए संबंधित या सुसंगत या आपके कब्जे में या ज्ञान संबंधी कोई अन्य जानकारी।
- \* अनुपालन के लिए एलएलपी प्ररूप संख्या बीईएन -1 की एक प्रति संलग्न है।

उपर्युक्त विशिष्टियां इस सूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत पते पर लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें असफल रहने पर सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आगे सूचना के बिना इस मामले में अग्रसर होगी।

नाम & हस्ताक्षर

(सूचना जारी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति)

#### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2023

- **G.S.R. 832(E).**—In exercise of the powers conferred by section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership (Significant Beneficial Owners) Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - **2. Applicability.-** The provisions of these rules shall apply to any Limited Liability Partnership.
  - **3. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);
- **(b)** "Annexure" means the Annexure to these rules;
- (c) "control" shall include the right to appoint majority of the designated partners or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their contribution or management rights or limited liability partnership agreements or other agreements or in any other manner;
- (d) "fees" means the fees as specified in the Limited Liability Partnership Rules, 2009;
- (e) "Form" or "e-form" means a form set forth in the Annexure to these rules;
- (f) "majority stake" means;-
- (i) holding more than one-half of the equity share capital in the body corporate; or
- (ii) holding more than one-half of the contribution in a partnership entity; or
- (iii) holding more than one-half of the voting rights in the body corporate; or
- (iv) having the right to receive or participate in more than one-half of the distributable dividend or distributable profits or any other distribution by the body corporate including a partnership entity as the case may be;
- (g) "notification" means the notification number G.S.R. 110 (E), dated the 11th February, 2022;
- (h) "partnership entity" means a partnership firm registered under the Indian Partnership Act,1932 (9 of 1932) or a limited liability partnership registered under the Act;
- (i) "reporting limited liability partnership" means a limited liability partnership required to comply with the requirements of section 90 of the Companies Act, 2013 as modified by the notification;
- (j) "section" means a section of Act and includes a section of the Companies Act, 2013, as modified by the notification;
- (k) "significant beneficial owner" in relation to a reporting limited liability partnership, means an individual who acting alone or together or through one or more persons or trust, possesses one or more of the following rights or entitlements in such reporting limited liability partnership, namely:-
  - holds indirectly or together with any direct holdings, not less than ten per cent of the contribution;
  - (ii) holds indirectly or together with any direct holdings, not less than ten percent of voting rights in respect of the management or policy decisions in such limited liability partnership;
  - (iii) has right to receive or participate in not less than ten per cent of the total distributable profits, or any other distribution, in a financial year through indirect holdings alone or together with any direct holdings;
  - (iv) has right to exercise or actually exercises, significant influence or control, in any manner other than through direct-holdings alone:

**Explanation I.-** For the purpose of this clause, if an individual does not hold any right or entitlement indirectly under sub-clauses (i), (ii), (iii) or (iv), he shall not be considered to be a significant beneficial owner.

**Explanation II.-** For the purpose of this clause, an individual shall be considered to hold a right or entitlement directly in the reporting limited liability partnership, if he satisfies any of the following criteria, namely:-

- (i) the contribution in the reporting limited liability partnership representing such right or entitlement are held in the name of the individual;
- (ii) the individual holds or acquires a beneficial interest in the contribution of the reporting limited liability partnership under sub-rule (2) of rule 22B of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 and has made a declaration in this regard to the reporting limited liability partnership.

**Explanation III.-** For the purpose of this clause, an individual shall be considered to hold a right or entitlement indirectly in the reporting limited liability partnership, if he satisfies any of the following criteria, in respect of a partner of the reporting limited liability partnership, namely: -

- (i) where the partner of the reporting limited liability partnership is a body corporate (whether incorporated or registered in India or abroad) other than a limited liability partnership, and the individual,-
  - (a) holds majority stake in that partner; or
  - (b) holds majority stake in the ultimate holding company (whether incorporated or registered in India or abroad) of that partner;
- (ii) where the partner of the reporting limited liability partnership is a Hindu undivided family (through karta), and the individual is the karta of the Hindu undivided family;
- (iii) where the partner of the reporting limited liability partnership is a partnership entity (through itself or a partner), and the individual,-
  - (a) is a partner; or
  - (b) holds majority stake in the body corporate which is a partner of the partnership entity; or
  - (c) holds majority stake in the ultimate holding company of the body corporate which is a partner of the partnership entity.
- (iv) where the partner of the reporting limited liability partnership is a trust (through trustee), and the individual,-
  - (a) is a trustee in case of a discretionary trust or a charitable trust;
  - (b) is a beneficiary in case of a specific trust;
  - (c) is the author or settlor in case of a revocable trust.
- (v) where the partner of the reporting limited liability partnership is,-
  - (a) a pooled investment vehicle; or
  - (b) an entity controlled by the pooled investment vehicle,

based in member State of the Financial Action Task Force on Money Laundering and the regulator of the securities market in such member State is a member of the International Organisation of Securities Commissions, and the individual in relation to the pooled investment vehicle,-

- (A) is a general partner; or
- (B) is an investment manager; or
- (C) is a chief executive officer where the investment manager of such pooled vehicle is a body corporate or a partnership entity.

**Explanation IV** - Where the partner of a reporting limited liability partnership is,

- (i) a pooled investment vehicle; or
- (ii) an entity controlled by the pooled investment vehicle,

based in a jurisdiction which does not fulfil the requirements referred to in clause (v) of Explanation III, the provisions of clause (i) or clause (ii) or clause (iii) or clause (iv) of Explanation III, as the case may be, shall apply.

- **Explanation V.-** For the purpose of this clause, if any individual, or individuals acting through any person or trust, act with a common intent or purpose of exercising any rights or entitlements, or exercising control or significant influence, over a reporting limited liability partnership, pursuant to an agreement or understanding, formal or informal, such individual, or individuals, acting through any person or trust, as the case may be, shall be deemed to be "acting together".
- (I) "significant influence" means the power to participate, directly or indirectly, in the financial and operating policy decisions of the reporting limited liability partnership but is not control or joint control of those policies.
- (m) "ultimate holding company" is a holding company as defined under clause (46) of section 2 of the Companies Act, 2013, which is not a subsidiary of any other body corporate.
  - (2). The words and expressions used in these rules but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009).
- 4. Duty of the reporting limited liability partnership.- (1) Every reporting limited liability partnership shall take necessary steps to find out if there is any individual who is a significant beneficial owner, in relation to that

reporting limited liability partnership, and if so, identify him and cause such individual to make a declaration in Form No. LLP BEN-1.

- (2) Without prejudice to sub-rule (1), every reporting limited liability partnership shall in all cases where its partner (other than an individual), holds not less than ten per cent. of its-
  - (a) contribution; or
  - (b) voting rights; or
  - (c) right to receive or participate in the distributable profits or any other distribution payable in a financial year.-

give notice to such partner in Form No. LLP BEN-4, seeking information in accordance with sub-section (5) of section 90 of the Companies Act, 2013 as applied to the limited liability partnership as per the notification.

- **5. Declaration of significant beneficial ownership.-** (1) On the commencement of these rules, every individual who is a significant beneficial owner in a reporting limited liability partnership, shall file a declaration in Form No. LLP BEN-1 to the reporting limited liability partnership within ninety days from such commencement.
- (2) Every individual, who subsequently becomes a significant beneficial owner, or where his significant beneficial ownership undergoes any change shall file a declaration in Form No. LLP BEN-1 to the reporting limited liability partnership, within thirty days of acquiring such significant beneficial ownership or any change therein.
- (3) Where an individual becomes a significant beneficial owner, or where his significant beneficial ownership undergoes any change, within ninety days of the commencement of these rules, it shall be deemed that such individual became the significant beneficial owner or any change therein happened on the date of expiry of ninety days from such commencement, and the period of thirty days for filing will be reckoned accordingly.
- **6. Return of significant beneficial owners in contribution.-** Upon receipt of declaration under rule 5, the reporting limited liability partnership shall file a return in Form No. LLP BEN-2 with the Registrar in respect of such declaration, within a period of thirty days from the date of receipt of such declaration by it, along with the fees as prescribed in the Limited Liability Partnership Rules, 2009.
- 7. Register of significant beneficial owners.- (1) The limited liability partnership shall maintain a register of significant beneficial owners in Form No. LLP BEN-3.
- (2) The register shall be open for inspection during business hours, at such reasonable time of not less than two hours, on every working day as may be decided by limited liability partnership agreement, or by partners of the limited liability partnership on payment of such fee as may be specified by the limited liability partnership but not exceeding fifty rupees for each inspection.
- **8.** Notice seeking information about significant beneficial owners.- A limited liability partnership shall give notice in Form No. LLP BEN-4 seeking information in accordance with sub-section (5) of section 90 as applied to the limited liability partnership by the notification.
  - 9. Application to the Tribunal.- The reporting limited liability partnership shall apply to the Tribunal,
  - (i) where any person fails to give the information required by the notice in Form No. LLP BEN-4, within the time specified therein; or
  - (ii) where the information given is not satisfactory, under sub-section (7) of section 90 of Companies Act, 2013

for order directing that the contribution in question be subject to such restrictions as Tribunal deems fit, including-

- (a) restrictions on the transfer of interest attached to the contribution in question;
- (b) suspension of the right to receive profits or any other distribution in relation to the contribution in question;
- (c) suspension of voting rights in relation to the contribution in question;
- (d) any other restriction on all or any of the rights attached with the contribution in question.
- 10. Non-applicability.- These rules shall not apply to the extent the contribution of the reporting limited liability partnership is held by.-
  - (a) the Central Government, State Government or any local authority;
  - (b) (i) a reporting limited liability partnership, or

- (ii) a body corporate, or
- (iii) an entity,

controlled by the Central Government or by one or more State Government, or partly by the Central Government and partly by one or more State Government;

- (c) an investment vehicles registered with, and regulated by the Securities and Exchange Board of India, such as mutual funds, alternative investment funds (AIF), Real Estate Investment Trusts (REITs), Infrastructure Investment Trust (InVITs).
- (d) an investment vehicles regulated by the Reserve Bank of India, or the Insurance Regulatory and Development Authority of India, or the Pension Fund Regulatory and Development Authority.

[F. No.17/30/2018-CL-V]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

#### Annexure

[See rule 3(b)]

#### Form No. LLP BEN-1

Declaration by the beneficial owner who holds or acquires significant beneficial ownership in Contribution

[Pursuant to section 90(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 5 of the Limited Liability Partnership (Significant Beneficial Owners) Rules, 2023]

To

Name of the Limited Liability Partnership:

Registered office address:

- 1. Purpose of filing the form (choose any one)
- **O** For declaration of Significant Beneficial Ownership under Section 90 of the Companies Act, 2013.
- O For Change in Significant Beneficial Ownership under Section 90 of the Companies Act, 2013.

ID of the Significant Beneficial Owner	
--	--

2. Particulars of the holder of the significant beneficial interest:

Name of the Significant Beneficial Owner (Given name and last Name)	
Address and Email id	
Date of Birth/Age	
Father's/ Mother's/Spouse's name	
Occupation	
Nationality	
Passport No. (in case of foreign national)	
PAN	
DIN/DPIN (in case of holding directorship/designated partner in body corporate)	

- 3. Nature of indirect holding or exercise of right in the reporting Limited Liability Partnership through partner of the reporting LLP (where more than one repeat this para of the Form)
- a. Type of Partner (Company/ LLP/Any other Body Corporate/ HUF/Partnership firm/Discretionary Trust/Charitable trust/Specific Trust/Revocable Trust/Pooled Investment vehicle (PIV) / Entity controlled by PIV):
- b. Corporate Identity number (CIN) or Limited Liability Partnership Identification number (LLPIN) or any other registration number allotted by the regulator established under the Act:
- c. Name of Partner:
- d. Address:

Place:

Attachments:

Signature of the holder of the significant beneficial interest

#### Form No. LLP BEN-2





Return to the Registrar in respect of declaration under section 90 [Pursuant to section 90(4) of The Companies Act, 2013 and rule 6 The Limited Liability Partnership(Significant Beneficial Owners) Rules, 2023]

	English		Hindi
--	---------	--	-------

Refer instruction kit for filing the form
All fields marked in \* are mandatory

Limited Liability Partner	ership Information	
1 *Limited Liability Partne	nership Identification Number (LLPIN) of LLP	
2(a) *Name of the Limited	d Liability Partnership	
(b) *Registered office adda	dress	
(c) *email id		
3 *Purpose of filing the for	orm	
For declaration of hold Section 90 of the Compani		vnership under
	lars of existing Significant Beneficial der Section 90 of the Companies Act, 2013  For removal of existing Significant Section Ownership under Section	
Removal of the existing	ng holding reporting Limited Liability Partnership	
	ding reporting Limited Liability Partnership declaration of holding reporting Limited Liability Partnership' is selected in	ı data field 3)
(a) LLPIN of the holding	ng reporting Limited Liability Partnership	
(applicable in case 'For de 2013' is selected in data fi	Significant Beneficial Ownership under Section 90 of the Companies Ac declaration of Significant Beneficial Ownership under Section 90 of the Confield 3)  ant Beneficial Owners for whom the form is being filed	
Significant Beneficial	Number of Partners through whom indirect holding or right in repor	rting
Owner SBO1	Limited Liability partnership is being exercised	
SBO1		

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 29

0

6	Details	and	particulars of Partners	
---	---------	-----	-------------------------	--

	rect holding or right (select one or more a			itiiti iii	un ectiy (	or together	WILII
Ву	virtue of contribution	Γ					
Ву	virtue of voting rights in contribution						
Ву	virtue of rights on distributable profits or any	y other distribution	n				
Ву	virtue of exercise of control (attach copy of a	agreement)					
Cop	by of Agreement	Max 2 MB	Choose F	ile	Remove	Downloa	ad
□ By v	virtue of exercise of significant influence (at	tach copy of agree	ement)				
	by of Agreement		ose File	Remov	e	Download	
B Partic	culars of the Partners						
Ot Di In Ou Go	Type of Partner (company/ foreign company/ ther body corporate/Hindu Undivided Family iscretionary trust / charitable trust / specific to vestment vehicle (PIV) / entity controlled by utside India and has no place of business in I overnment)  (i) Whether trustee is a body corporate? O	y (HUF)/ Partners trust / revocable to PIV/ foreign LL/ India/ Individuals	hip firm / rust / Poole P / LLP inc	d corporat	ed		
(i	ii) Number of Individuals acting together						
(b) C	ZIN/ FCRN/ LLPIN or any other registration	number					
(c) N	Jame of the Partner						
(d) A	address of the Partners						
(i) Add	dress Line 1						
(ii) Ad	ldress Line 2						
(iii) Co	ountry						lacktriangle
(iv) Pi	n Code/Zip code						
(v) Are	ea/Locality						V
(vi) Ci	ity						
(vii) D	District						
(viii) S	State/UT						
(e) Ema	uil ID of the Partner	·					
(f) Dat	te of entry of name in register under Rule 22	A of the Limited	Liability Pa	artnersh	ip		
Rı	ules, 2009 (DD/MM/YYYY)						

## 6C Other details of the Partners

(a)	Status of the SBO (Individual/partner/karta/trustee/protector/director/ Protector/beneficiary/settlor/ general partner/invest CEO of PIV/ individual acting together/head of sta	ment partner/				
(b)	Whether individual (SBO) has majority stake in the (partner of the Reporting LLP/Ultimate Holding Coreporting LLP)		ner of the	<b>.</b>		<b>V</b>
(c)	Corporate Identity number (CIN) or LLPIN or For (FCRN) or Foreign Limited Liability Partnership I any other registration number			Number		
(d)	Name of the ultimate holding company					
(e)	Whether the individual (SBO):					V
	(is a partner of the Body corporate/ holds majority holds majority stake in the ultimate holding compa					
(f)	Corporate Identity number (CIN) or Foreign Cor or Foreign Limited Liability Partnership Identific or any other registration number		Number	(FCRN)		
(g)	Name of the body corporate partner / ultimate ho	olding company				
	articulars of the SBO to be added SBO1					
(a)	ID of the Significant Beneficial Owner					
(a)(	i) Income Tax PAN					
					Verify Income tax	
(ii)	Passport Number					
(b)	Name of the Significant Beneficial Owner					
(b)(	(i) First Name					
(ii)	Middle Name					
(iii)	) Last Name					
(c)	Father's Name (Even married women must give fath	her's name)				1
(c)(	i) First Name					
(ii)	Middle Name					
(iii)	) Last Name					
(d)	Date of Birth (DD/MM/YYYY)					
(e)	Nationality					7
(f)	Whether a citizen of India	O Yes			O No	_

(g) Address of Significant Beneficial Owner	
(g)(i) Address Line 1	
(ii) Address Line 2	
(iii) Country	
(iv) Pin Code/Zip code	
(v) Area/Locality	
(vi) City	
(vii) District	
(viii) State/UT	
(ix) Email ID of the Significant Beneficial Owner	
(h)(i) Date of acquiring Significant Beneficial Interest (DD/N	/M/YYYY)
(ii) Date of declarations under sub-section (1) of section 90 o (DD/MM/YYYY)	of the Companies Act, 2013
(iii) Date of receipt of the declaration by the LLP (DD/MM/Y	YYYY)
(i) Whether Significant Beneficial Owner has any direct hold reporting LLP	ling or right in the Yes No
(j) If yes, enter details below:	
(i) By virtue of contribution	
(ii) By virtue of voting rights in contribution	
(iii) By virtue of rights on distributable profits or any other	distribution
(iv) By virtue of exercise of control (attach copy of agreen	nent)
Copy of Agreement	Max 2 MB Choose File Remove Download
(v) By virtue of exercise of significant influence (attach co	ppy of agreement)
Copy of Agreement	Max 2 Choose File Remove Download
(k) Name of the Body Corporate	
(l) Corporate Identity number (CIN) or Foreign Company R Number (FCRN) or Limited Liability Partnership Identif Number (LLPIN) or Foreign Limited Liability Partnershi any other registration number	ication

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(i)]

31

9

# 5 (b) For change in particulars of Significant Beneficial Ownership under Section 90 of the Companies Act, 2013

(applicable in case 'For change in particulars of Significant Beneficial Ownership under Section 90 of the Companies Act, 2013' is selected in data field 3)

Owner	Number of Partners thro being exercised	ugh whom indirect	nolaing or rigi	iit iii reporting r	LLP is
SBO1 SBO2		_			
5502					
Details and particular	s of Partners				
Manner in which sign	nificant beneficial interest is		ised either ind	irectly or togeth	er wit
any direct holding or	right (select one or more as	may be applicable)			
By virtue of contribu	ation				
By virtue of voting i	rights in contribution				
By virtue of rights o	on distributable profits or any	other distribution			
By virtue of exercise	e of control (attach copy of ag	reement)			
Copy of Agreement		Max 2	Choose File	e Remove	Do
•	e of significant influence (atta	ch copy of agreemen	t)		_
Copy of Agreement		Max 2 N	Choose ?	File Remove	Γ
Particulars of the Par	rtners				
(a) Type of Partner					
(Company/ Foreign Hindu Undivided I Specific Trust/ Revo	Company/ Limited Liability F Family (HUF)/ Partnership F ocable Trust/ Pooled Investme ncorporated outside India and ont)	irm/ Discretionary Ta nt vehicle (PIV)/ Ent	rust/ Charitable ity controlled b	e Trust/ py PIV/	g toge
i) Whether trustee is a l	oody corporate?		0	Yes No	
i) whether trustee is a v					
ii) Number of individua	als acting together				
i) Number of individua	als acting together	mber			
i) Number of individua	N or any other registration nu	mber			
) Number of individual ) CIN/ FCRN/ LLPI c) Name of the Partne	N or any other registration nu	mber			
) Number of individual ) CIN/ FCRN/ LLPI e) Name of the Partner d) Address of Partner	N or any other registration nu	mber			
Number of individual CIN/FCRN/ LLPI Name of the Partner A) Address of Partner	N or any other registration nu	mber			
i) Number of individua	N or any other registration nu	mber			
) Number of individual ) CIN/FCRN/ LLPI c) Name of the Partner d) Address of Partner ii) Address Line 1	N or any other registration nu	mber			

[भाग Ⅱ–	—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र	: असाधा	ारण	33
(vi) C	ity				
(vii) [	District				
(viii) s	State/UT				
(e) En	nail ID of the Partner				
(f) Da	te of entry of name in registe	r under rule 22A of Lim	ited Lia	ability Partnership	
R	ules, 2009 (DD/MM/YYYY	)			
6C Othe	er details of the partners				
(a)	Status of the SBO				▼
]	(Individual/ Partner/ Karta/ T Beneficiary/ Settlor/ General nvestment manager/CEO of P	Partner/Investment man	ager/ C	EO of PIV/ General Partner/	
. ,	Whether individual (SBO) h. Partner of the reporting LLF partner of the reporting LLF	P/ Ultimate Holding Con	npany o	of the	V
(c)	Corporate Identity number (Or LLPIN or Foreign Limite any other registration number	d Liability Partnership I			
(d)	Name of the ultimate holding	g company			
(e)	Whether the individual (SBC	<b>)</b> )			
	s a partner of the body corpo holds majority stake in the ul				
(f)	Corporate Identity number (or LLPIN or Foreign Limited any other registration number	d Liability Partnership Io			
(g)	Name of the body corporate	partner or ultimate hold	ing con	npany	
6D Par	ticulars of the SBO to be ch	anged SBO1			
(a) ID o	of the Significant Beneficial C	wner			<b>T</b>
(i) Inc	come Tax PAN				
(ii) Pa	ussport Number			Verify In	acome tax
	ame of the Significant Benefic	cial Owner			
	-				
	st Name				
	iddle Name				
(111) L	ast Name		1		

(	c) Father's Name (Even married women must give father	r's name)
(	) First Name	
(	i) Middle Name	
(	ii) Last Name	
(	d) Date of Birth (DD/MM/YYYY)	
(	e) Nationality	
(	f) Whether a citizen of India	O Yes O No
(	g) Address of Significant Beneficial Owner	
(	) Address Line 1	
(	i) Address Line 2	
(	ii) Country	<b>V</b>
(	v) Pin Code/Zip code	
(	v) Area/Locality	<b>V</b>
(	vi) City	
(	vii) District	
(	viii) State/UT	
(	x) Email ID of the Significant Beneficial Owner	
(	n)(i) Date of acquiring Significant Beneficial Interest (DI	D/MM/YYYY)
	(ii) Date of declarations under sub-section (1) of section Companies Act, 2013 (DD/MM/YYYY)	ion 90 of the
	(iii) Date of receipt of the declaration by the LLP (DD	D/MM/YYYY)
(	) Whether Significant Beneficial Owner has any direct l reporting LLP	holding or right in the Yes No
(	) If yes, enter details below:	
	(i) By virtue of contributions	
	(ii) By virtue of voting rights in contributions	
	(iii) By virtue of rights on distributable profits or any or	ther distribution
	(iv) By virtue of exercise of control (attach copy of agree	reement)
	Copy of Agreement	Max 2 MB Choose File Remo Download
	(v) By virtue of exercise of significant influence (attach	n copy of agreement)
	Copy of Agreement	Max 2 MB Choose File Remove Download

(	k) Name of the Body Corporate	
(	(m) Corporate Identity number (CIN) or Foreign Company Number (FCRN) or Limited Liability Partnership Identifi Number (LLPIN) or Foreign Limited Liability Partnership any other registration number	ication
	) For removal of existing Significant Beneficial Ownership licable in case 'For removal of existing Significant Benefician	
201	3' is selected in data field 3)	
(c)	(i) Number of Significant Beneficial Owner to be removed	
(d)	(i) ID of the Significant Beneficial Owner to be removed	
	(ii) Name of Significant Beneficial Owner to be removed	
	(iii) Date of removal of Significant Beneficial Interest (DD	D/MM/YYYY)
	(iv) Date of declarations under sub-section (1) of section 9 Companies Act, 2013 (DD/MM/YYYY)	00 of the
	(v) Date of receipt of the declaration by the LLP (DD/MM	T/YYYY)
(e)	Whether control or significant influence has ceased	O Yes O No
	If yes, provide copy of relevant document	Max 2 MB Choose File Remove Download
(f)	Details of direct or indirect control by the SBO after such co	essation/change (select all that apply):
	(i) By virtue of contribution	
	(ii) By virtue of voting rights in contribution	
	(iii) By virtue of rights on distributable profits or any other	distribution
	(iv) By virtue of exercise of control (attach copy of agreement	ent)
	Copy of Agreement	Max 2 MB Choose File Remove Download
	(v) By virtue of exercise of significant influence (attach cop	py of agreement)
	Copy of Agreement	Max 2 MB Choose File Remove Download
	emoval of the holding reporting LLP plicable in case option 'Removal of the holding reporting LL	.P' is selected in data field 3)
(	a) LLPIN of the holding reporting LLP	
(	b) Effective date of removal of holding reporting LLP (DD/N	MM/YYYY)

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग II—खण्ड 3(i)]

35

Attachments		
<ul> <li>(a) *Declaration under Section 90 of the Companies Act, 2013</li> <li>(b) Registration Certificate</li> </ul>	Max 2 MB Choose File	Remove
(c) Instrument under which significant beneficial interest is created	Max 2 MB Choose File	Remove
(d) Optional attachment, if any.	Max 2 MB Choose File	Remove
Declaration		
To the best of my knowledge and belief, the information given in the LLP, as a designated partner of the LLP, as authorised to sign and a further hereby declar on whose behalf reporting is done in LLP BEN-1 to act as SBO opportunity to such individual(s).	submit this form. re that I have verified the detail	s of individual(s)
*To be digitally signed by designated partner	DSC	BOX
* DPIN of the designated partner		
Certificate by practicing professional  * It is hereby certified that I have verified the above particulars (in	acluding attachment(s)) from the r	ecords of
and found them to be true and	l correct. I further certify that all t	the
required attachment(s) have been completely attached to this	·	
* Category		
Chartered accountant (in whole time practice)		
Cost accountant (in whole time practice)		
Company secretary (in whole-time practice)		
* Whether associate or fellow:		
Associate O Fellow		
*Membership number or certificate of practice number		
*Signature Field 2	DSC BOX	
	Save	Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 37 of LLP Act, 2008 which provide for punishment for false statement and punishment for the same.

This eForm has been taken on file maintained by the register of LLPs through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the Designated partner and professional.

For office use only:	
eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)	

#### Form No. LLP BEN-3

#### Register of beneficial owners holding significant beneficial interest

[Pursuant to Section 90(2) of the Companies Act, 2013 and Rule 7 (1) of the Limited Liability Partnership (Significant Beneficial Owners) Rules, 2023]

Name of the Limited Liability Partnership:

Registered office address:

Sl. No.	Name of the	Address and Email	Date of Birth/ Age	Father's/ Mother's/
	Beneficial Owner	id		Spouse's name
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Occupation	Nationality	PAN/Unique Identification Number	Passport No. (in case of foreign national)	Status
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Date of declaration under Section 90 of the Companies Act, 2013 and Rule 4 and 5 of the Limited	Date of cessation	Date of entry in Register	Date of filing of LLP BEN-2(SRN wise)	Any other interest, if any
Liability Partnership (Significant Beneficial Owners) Rules, 2023				
(11)				
Instructions, if any,				
given by the				
partner				

#### Form No. LLP BEN-4

[Pursuant to section 90(5) of the Companies Act, 2013 and Rule 4, 8 and 9 of the Limited Liability Partnership (Significant Beneficial Owners) Rules, 2023]

[<<Insert LLP Name>>] (the "LLP")

<<Insert Date>>

[By post/email]

То:
Name and address of SBO/any other person
Date:
Subject: Notice under sub-section (5) of Section 90 of the Companies Act, 2013 and rules made under the Limited Liability Partnership (Significant Beneficial Owners) Rules, 2023
The Limited Liability Partnership has reasonable cause to believe that:
You are a significant beneficial owner of the Limited Liability Partnership;
You have knowledge of the identity of significant beneficial owner/another person oflikely to have such knowledge;
being a partner hold not less than 10% of the contribution / voting rights/ rights on distributable profits or any other distribution in the company
You have been a significant beneficial owner of the Limited Liability Partnership during the three years immediately preceding the date of this notice, and
in respect of the above significant beneficial ownership, the declaration for intimation as prescribed under Section 90 of the Act Companies Act, 2013 has not been complied with the Companies Act, 2013 and rules made under the Limited Liability Partnership (Significant Beneficial Owners) Rules, 2023.
You are accordingly advised to give the following information within 30 days of the date of this notice in accordance with the Section 90 of the Companies Act, 2013:
1. Name and Address of the Beneficial Owner (B.O)
2. PAN of the BO
3. Name of the person/entity/trust/body corporate etc. in whose name the contribution is registered
4. Date of acquiring beneficial interest
5. Documents, terms and conditions or any other particulars regarding the Beneficial ownership
6. Reason for not filing declaration in Form No. LLP BEN-1.
7. Any other information incidental to or relevant or in your possession or knowledge to enable the Limited Liability Partnership to evaluate this matter.
* A copy of LLP Form No. BEN-1 is attached for compliance.
The above mentioned particulars should be submitted in writing to the registered address of the Limited Liability Partnership not later than 30 days of the date of this notice failing which the Limited Liability Partnership shall

(Person authorized to issue notice)

proceed in the matter without further notice as per the provisions of the Act.